



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48110

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6349/2026

धर्मेन्द्र कुमार और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ओमकार नाथ राय, विनय कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही में, प्रतिवादी संख्या 2-उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, मछलीशहर, जिला जौनपुर द्वारा दिनांक 09.10.2024 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश का पालन किए जाने के बाद भी पुनः हस्तक्षेप किया गया है, अतः याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 17.10.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। चूंकि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेगा।
4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण प्रवेश स्तर पर ही किया जा रहा है।
5. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को यह अनुमति दी जाती है कि वे आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नया आवेदन प्रस्तुत करें। यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अगले छह सप्ताह की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

10 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”